

# फर्द अहकाम

रामूलाल

बनाम

सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या 379/2025

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30.05.2025	<p>प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान में राजस्व जमाबन्दी खाता संख्या नया व पुराना 7 में वर्णित खसरा नम्बर 527 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, में प्रार्थी का आंकलन इन्द्राज नाबालिग रामू पुत्र गुल्ला सरक्षक सरपरस्त संरक्षिका ग्यारसी हिस्सा 7/16, खाता संख्या नया व पुराना 8 में वर्णित खसरा नम्बर 504 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, में प्रार्थी का आंकलन इन्द्राज नाबालिग रामू पुत्र गुल्ला सरक्षक सरपरस्त संरक्षिका ग्यारसी हिस्सा 1/8, खाता संख्या नया व पुराना 9 में वर्णित खसरा नम्बर 499 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 500 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 501 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, में प्रार्थी का आंकलन इन्द्राज नाबालिग रामू पुत्र गुल्ला सरक्षक सरपरस्त संरक्षिका ग्यारसी हिस्सा 1/4, को हटाकर दुरुस्त किया जाकर उक्त खाताओं की जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज रामूलाल शर्मा पुत्र गुलाबचन्द शर्मा में समायोजित किया जावे तथा अलावा उपरोक्त के वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2024-77 में वर्णित खाता संख्या नया एवं पुराना 10 में वर्णित खसरा नम्बर 259/828 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का दर्ज नाम रामूलाल पुत्र गुल्ला उर्फ गुलाबचन्द हिस्सा 1/64 खाता संख्या नया एवं पुराना 11 खसरा संख्या 495 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का दर्ज नाम रामूलाल पुत्र गुल्ला उर्फ गुलाबचन्द हिस्सा 1/64, खाता संख्या नया एवं पुराना 20 खसरा नम्बर 502 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का दर्ज नाम रामू पुत्र गुल्ला हिस्सा 1/12 में प्रार्थी का आंकलन इन्द्राज हटाकर दुरुस्त किया जाकर उपरोक्त खाता संख्या 10 में वर्णित प्रार्थी के इन्द्राज आंकलन रामूलाल शर्मा पुत्र गुलाबचन्द शर्मा हिस्सा 1/256, खाता संख्या 11 में वर्णित प्रार्थी के इन्द्राज आंकलन रामूलाल शर्मा पुत्र गुलाबचन्द शर्मा हिस्सा 1/256, खाता संख्या 20 में वर्णित प्रार्थी के इन्द्राज आंकलन रामूलाल शर्मा पुत्र गुलाबचन्द शर्मा हिस्सा 1/48 में समायोजित किया जाकर उपरोक्त नाम यथावत रखा जाने का निवेदन किया।</p> <p>बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थी के पिता स्व० श्री गुल्ला उर्फ गुलाबचन्द की है जो कि .....लगातार</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b> <b>जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</b></p>	

रामूलाल

बनाग

सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या 373/2025

30.05.2025

प्रार्थी को विरासत से प्राप्त हुई है प्रार्थी के पिता गुलाबचन्द शर्मा के स्वर्गवास के समय प्रार्थी नाबालिग था, इस कारण विरासत में खाता संख्या 7, 8, 9 में प्रार्थी का नाम नाबालिग रामू पुत्र गुल्ला संरक्षक सरपरस्त संरक्षिका ग्यारसी जमाबंदी में दर्ज है। प्रार्थी वर्तमान में वयस्क हो चुका है, इस कारण जरिये संरक्षक को हटाया जावें। प्रार्थी रामू का सही नाम रामूलाल शर्मा है तथा प्रार्थी के पिता का नाम गुलाबचन्द शर्मा है, उपरोक्त इन्द्राज संहवन व त्रूटिवश दर्ज हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी को नाबालिग रामू पुत्र गुल्ला के स्थान पर बालिग दर्ज करते हुए रामू पुत्र गुल्ला के स्थान पर रामूलाल पुत्र गुलाबचन्द्र किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम महल, पटवार हल्का जगतपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लुनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित आराजी खाता संख्या 7, 8, 9 में अंकित खातेदार नाबालिक रामू पुत्र गुल्ला संरक्षक सरपरस्त संरक्षिका ग्यारसी के स्थान पर रामूलाल पुत्र गुलाबचन्द एवं खाता संख्या 10, 11 में अंकित खातेदार रामूलाल पुत्र गुल्ला उर्फ गुलाबचन्द के स्थान पर रामूलाल पुत्र गुलाबचन्द एवं 20 में अंकित खातेदार रामू पुत्र गुल्ला के स्थान पर रामूलाल पुत्र गुलाबचन्द का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)